न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्रः–110/2020

दायर दिनांकः 27.07.2020

GCMS NO:- 2020/00205

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कमल बैरवा आत्मज मूलचन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 6 नैनवॉं तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. कैलाशी बाई पुत्री मूलचन्द जाति बैरवा निवासी नैनवॉं हाल पता पत्नी सीताराम जाति बैरवा निवासी खेडली तहसील उनियारा जिला टोंक।
3. गोपाली पत्नी मूलचन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 6 नैनवॉं तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4. भरोसीबाई पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासी नैनवॉं हाल पता पत्नी कल्याण जाति बैरवा निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोंक।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां, तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 09.03.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉं पटवार मण्ड़ल नैनवॉं द्वितीय तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 484 की खसरा सं. 2013 रकबा 28–08 बीघा, खसरा सं. 2014 रकबा 01–12 बीघा, खसरा सं. 5826/2011 रकबा 02–18 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 32–18 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमियों के मूल खातेदारान मूलचन्द व रामदेव की मृत्यु हो जाने से अब प्राथीगण की एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी है। यह कि ग्राम नैनवॉं पटवार मण्डल नैनवॉं द्वितीय तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 1 की खसरा सं. 2011 रकबा 04–10 बीघा किस्म बंजड स्थित है उक्त भूमि पर राजकीय सिवायचक भूमि है जिसका एक मात्र स्वामी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार नैनवॉं है। यह कि वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का रास्ता नैनवां से चेनपुरिया जाने वाली डामर सडक के दक्षिणी ओर स्थित खसरा सं. 2011 की पूर्वी मेड के सहारे होता हुआ 15 फीट चौडा, उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा सं. 5826/2011 तक पहुंचने वाला रास्ता ही एक मात्र रास्ता है, [illegible] परिशिष्ट –"अ" में लाल स्याही से ए टू बी भाग द्वारा दर्शाया गया है इसलिए उक्त [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। यह प्रार्थना पत्र [illegible] लिये प्रार्थीगण खसरा सं. 2011 के खातेदार प्रतिवादी को श्रीमान [illegible] माध्यम से राजकोष में न्यायालय श्रीमान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.21 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को नैनवां से चेनपुरिया जाने वाली डामर सडक के दक्षिणी ओर स्थित खसरा सं. 2011 की पूर्वी मेड के सहारे होता हुआ 15 फीट चौडा, उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा सं. 5826/2011 तक पहुंचने वाला रास्ता दिलाकर राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि में होकर आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेश पेश किया।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार नैंनवां का जवाब/रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपने जवाब मे तहसीलदार नैंनवां ने मौका रिपोर्ट पेश करते हुये प्रार्थी को चैनपुरिया रोड से स्वयं की खातेदारी में आने जाने हेतु खसरा सं. 2011 रकबा 04–10 बीघा किस्म बंजड में आने वाले प्रस्तावित रास्ते की लंबाई * चौडाई (290 फीट 15 फीट =4350 वर्ग फीट) अर्थात 5 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित की जाती है। प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार कुल 05 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में जो रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित खाता संख्या 484 की खसरा सं. 5826/2011 भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम नैनवॉ पटवार मण्ड़ल नैनवॉ द्वितीय तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 484 की खसरा सं. 2013 रकबा 28–08 बीघा, खसरा सं. 2014 रकबा 01–12 बीघा, खसरा सं. 5826/2011 रकबा 02–18 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 32–18 बीघा भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थीगण को चैनपुरिया रोड से खसरा सं. 2011 रकबा 04–10 बीघा किस्म बंजड में आने वाले प्रस्तावित रास्ते की लंबाई * चौडाई (290 फीट * 15 फीट =4350 वर्ग फीट) अर्थात 5 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल कर राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.21 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner